

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष :07744-225059 (का.), 226389 (नि) ई-मेल dfo-rajnandgaon.cg @gov.in

ज्ञापन क्र./मा.चि./39/2017/8294
प्रति,

राजनांदगांव, दिनांक 25/07/2017

Director,

Chhattisgarh WR Transmission Limited,
C-105, Sambhav Building Judges Bungalow,
Road Bodakdev, Ahmedabad- 380015

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for the purpose of 765 KV D/C Raipur-Rajnandgaon-Warora Transmission Line, Area-10.0555 ha. Regarding

— आनलाईन पंजीयन क्रमांक —FP/CG/TRANS/18792/2016

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विधुत/479-143/2244 दिनांक 19.07.2017

— "" —

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र जो आपको भी संबोधित है। राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत बाघनदी परिक्षेत्र के संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 633, 657 रकबा 3.899 हे. राजस्व वनक्षेत्र 6.156 हे. (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) में 765 के.वी. विधुत पारेषण लाईन की स्थापना हेतु कुल रकबा 10.0555 हे. के गैरवानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्त के अनुसार संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार बिन्दु क्रमांक 01 वैकल्पिक वृक्षारोपण की वर्ष 2017-18 की प्रचलित दर से वृक्षारोपण हेतु राशि की आवश्यकता है। इस हेतु आपके द्वारा खैरागढ़ वनमंडल के खैरागढ़ परिक्षेत्र के अधीन चंगुर्दा उपवृत्त परिसर बरगांव कक्ष क्रमांक पी.331 एवं 333 के समीप वन सीमा से लगी हुई भूमि 13.679 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु विभाग को देने हेतु लेख किया गया है। उक्त भूमि की विभाग के पक्ष में हस्तांतरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2017-18 की प्रचलित दर अनुसार सिंचित दर राशि 6,00,222.00 प्रति हे. की दर से लिया जाना है। इस हेतु कुल राशि 82,10,437.00 रु. (बियासी लाख दस हजार चार सौ सैतीस रुपये) की आवश्यकता है। अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि 82,10,437.00 रु. (बियासी लाख दस हजार चार सौ सैतीस रुपये) को आप स्वयं कार्पोरेशन बैंक लोधी काम्पलेक्स नई दिल्ली-110003 (RTGS/IFSC No. Corp0000371) के खाता क्रमांक- 25203 वेब पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से एदाहक कैम्पा खाता में जमा कर एक प्रति इस कार्यालय में देवें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वन मंडल अधिकारी

राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 25/07/2017

पृ. क्र./मा.चि./39/2017/8295

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. की सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

वन मंडल अधिकारी

राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष :07744-225059 (का.), 226389 (नि) ई-मेल dfo-rajnandgaon.cg @gov.in

ज्ञापन क्र./मा.चि./39/2017/8292

राजनांदगांव, दिनांक 25/07/2017

प्रति,

Director,

Chhattisgarh WR Transmission Limited,
C-105, Sambhav Building Judges Bungalow,
Road Bodakdev, Ahmedabad- 380015

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under forest consevation Act, 1980 for the purpose of 765 KV D/C Raipur-Rajnandgaon-Warora Transmission Line, Area-10.0555 ha. Regarding

— आनलाईन पंजीयन क्रमांक —FP/CG/TRANS/18792/2016

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विधुत/479-143/2244 दिनांक 19.07.2017

— " " —

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र जो आपको भी संबोधित है। राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत बाघनदी परिक्षेत्र के संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 633, 657 रकबा 3.899 हे. राजस्व वनक्षेत्र 6.156 हे. (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) में 765 के.वी. विधुत पारेषण लाईन की स्थापना हेतु कुल रकबा 10.0555 हे. के गैरवानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्त के अनुसार संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार बिन्दु क्रमांक VIII में प्रत्याशा मूल्य (NPV) से संबंधित वचन पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में प्रत्याशा मूल्य (NPV) 62,64,577.00 रु. (बैसेठ लाख चौसठ हजार पाँच सौ सत्ततर रुपये) की राशि प्रकरण में जमा किया जाना है। अतः प्रत्याशा मूल्य की राशि 62,64,577.00 रु. (बैसेठ लाख चौसठ हजार पाँच सौ सत्ततर रुपये) एढाक कैम्पा के तहत आप स्वयं कार्पोरेशन बैंक लोधी काम्पलेक्स नई दिल्ली-110003 (RTGS/IFSC No. Corp0000371) के खाता क्रमांक- 25203 वेब पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से एढाहक कैम्पा खाता में जमा कर एक प्रति इस कार्यालय में देवें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त आप इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। यदि प्रत्याशा मूल्य माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर उपरोक्त राशि के अतिरिक्त और राशि का भुगतान किया जाना होगा तो उसे भी आपके द्वारा किया जावेगा।


वन मंडल अधिकारी

राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 25/07/2017

पृ. क्र./मा.चि./39/2017/8293

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. की सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।


वन मंडल अधिकारी

राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव